Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
Available online at : www.shisrrj.com
OPEN ACCESS
© 2023 SHISRRJ | Volume 6 | Issue 6
ISSN : 2581-6306
doi : https://doi.org/10.32628/SHISRRJ

घरेलू हिंसा का वर्तमान भारतीय परिदृश्यः एक विवेचना

डॉ० विमला कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग,
भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

Article Info
Publication Issue :
November-December-2023
Volume 6, Issue 6
Page Number : 210-220

Article History
Received : 02 Dec 2023
Published : 21 Dec 2023

शोधसारांश– घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए घरेलू हिंसा से महिला सरक्षण अधिनियम, 2005 पर चर्चा करते हुए कहा है कि वर्ष 2005 के अधिनियम के अनुपालन के बाद भी भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला को भारत में पुत्री, बहन, पत्नी, मॉ, साथी या एकल महिला के रूप में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो चिंतनीय है।

मुख्य शब्द–घरेलू हिंसा, भारतीय, महिला, अत्याचार, हिंसा, परिवार, लोक–लाज, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक।

अक्सर घरों या ससुराल में महिलाओं के साथ अत्याचार, क्रूरता और असमानता का व्यवहार किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आती रही हैं, जिसे **घरेलू हिंसा** के रूप में जाना जाता है। इसमें शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा (बलात्कार) सभी शामिल है। इस तरह की हिंसा परिवारों के बीच ही दबकर खत्म हो जाती है, क्योंकि महिलाएं अपने पति या पति के अन्य संबंधियों की लोक लाज और बदनामी के डर से शिकायत नहीं कर पाती हैं।

एक आकलन के अनुसार भारत में लगभग 35 प्रतिशत महिलाएं अपने पैरेंटस के यहां घरेलू हिंसा का शिकार हैं। यू०एन० (संयुक्त राष्ट्र) की एक रिपोर्ट के अनुसार 40 प्रतिशत पुरूष एवं महिलाओं ने स्वीकार किया है कि अगर कभी कभार पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा दे तो यह कोई गलत बात नहीं है। इसी तरह की मानसिकता भारतीय पत्नियों में भी है। विवाहित महिलाओं की 56 प्रतिशत आबादी मानती है कि पति से एक बार मार खाना गलत नहीं है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 20–24 आयु वर्ष की विवाहित महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की 56 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। ऐसी अधिकतर महिलाएं शिक्षा और जागरूकता के अभाव के कारण घरेलू हिंसा का दंश भोगने के लिए अभिशप्त हो जाती है।

Copyright © 2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution **4.0 International License (CC BY-NC 4.0)** which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial use provided the original author and source are credited.

भारतीय समाज में बच्चे पैदा नहीं करने वाली महिलाओं को काफी हेय दृष्टि से देखा जाता है। कतिपय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के दृष्टिगत ऐसी महिलाओं को ''बांझ'' की संज्ञा देकर ताने मारा जाता है। दहेज के लिए विवाहित महिलाओं के साथ मारपीट के साथ दहेज हत्या की घटनाएं आम बात है। भारतीय परिवेश में विवाहित महिलाओं को हमेशा यही सीख दी जाती है कि उसे पति को भगवान मानकर उसकी हर इच्छा पूरी करनी है। इसी मानसिकता के कारण पति पत्नी के शरीर पर अपना पूरा हक समझता है और जब चाहे उसका इस्तेमाल करना चाहता है। पत्नी की इच्छा के विरूद्ध पति का जबरदस्ती उससे संबंध बनाना **''मैरिटल रेप''** की श्रेणी में आता है जो एक तरह से घरेलू हिंसा का घृणित रूप है।

भारत में 10 प्रतिशत महिलाएं और 50 वर्ष से अधिक उम्र की 55 प्रतिशत विधवाएं हैं। पति की मृत्यु के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। विभिन्न शुभ अवसरों पर आने जाने की सामाजिक मनाही कर दी जाती है। अक्सर संपत्ति के विवाद मिटाने के लिए उनका दूसरा विवाह पति के छोटे भाई से करने के लिए दबाव बनाया जाता है, कई बार उन्हें घरवालों के (देवर, जेठ या ससुर द्वारा) यौन शोषण से गुजरना पड़ता है।

भारत में घरेलू हिंसा के प्रकार – घरेलू हिंसा के विविध आयाम या प्रकार हैं–

(A) शारीरिक हिंसा – वह हिंसा जिससे प्रभावित महिला को शारीरिक हानि हो, शारीरिक दर्द हो या उसके जीवन एवं स्वास्थ्य एवं अंग को खतरा हो । जैसेः–

1. महिला के शरीर को चोट पहुंचाना। जैसे– थप्पड़ मारना, मारपीट करना, बाल खींचना, धकेलना, ठोकर मारना, लात घूंसा मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा पहुंचाना।
2. कोई भी ऐसा कार्य जिससे महिला की जान को खतरा हो।
3. कोई भी ऐसा कार्य जो महिला के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है जैसे–भरपेट खाना न देना, बीमारी में सही ईलाज न करवाना।
4. महिला पर किसी प्रकार से आक्रमण करना आदि।

(B) यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक हिंसा – वैसी हिंसा जिससे महिला का यौन उत्पीड़न हो या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती हो इस दायरे में आती है। जैसे–

1. लैंगिक आधार पर महिला को अपमानित करना, हीन समझना एवं उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाना और उसके साथ बदसलूकी करना।
2. यौन उत्पीड़न जैसे बलात्कार या बलात्कार का प्रयास।
3. जबरन यौन संबंध या इसी तरह की कोई गतिविधि।
4. जबरन शादी या बाल विवाह।
5. परिवार नियोजन विधियों के उपयोग को रोकना।
6. परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा यौन प्रयास करना।
7. यौन संबंध से वंचित रखना।

(C) मौखिक और भावनात्मक उत्पीड़न या हिंसा – किसी महिला को किसी भी कारण से गाली गलौज देना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना आदि इस हिंसा के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरणार्थ –

1; महिला को अकेला रखना और उस पर शक करना।

2. संतान न होने या सिर्फ लड़कियों को जन्म देने के कारण गाली देना और अपमानित करना।
3. महिला को दहेज या अन्य कोई मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रताड़ित करना।
4. सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर महिला को अपमानित करना और उसके हर काम में दोष निकालना आदि।
5. उपेक्षा, मानसिक आघात, मार डालने या अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने की धमकी देना।

(**D**) **आर्थिक हिंसा** –महिला को किसी आर्थिक एवं वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है, उससे वंचित करना, स्त्रीधन या कोई भी अन्य सम्पत्ति जिसकी वह अकेली या अन्य व्यक्ति के साथ हकदार हो आदि को महिला को न देना या उसकी सहमति के बगैर उसे बांट देना आदि आर्थिक हिंसा या उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। कुछ उदाहरण–

1. एक महिला को साझा घरेलू सामान जैसे पंखे, टेलीविजन, आलमीरा आदि के उपयोग करने से रोकना।
2. किसी तरह से महिला को उस धन संपति से हटाना, छीनना या दूर करने का प्रयास करना जिस पर महिला का कानूनी अधिकार है।
3. महिलाओं को काम करने से रोकना।
4. बच्चों की पढाई, खाना, कपड़ा आदि के लिए धन न उपलब्ध कराना।
5. महिला द्वारा कमाए जा रहे धन का हिसाब उसकी मर्जी के खिलाफ लेना।
6. यदि किराये के मकान में रह रहे हों, तो किराये आदि का संदाय न करना।

भारतीय महिलाओं की विडम्बना है कि शारीरिक और यौन उत्पीड़न तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाते हैं पर भावनात्मक और आर्थिक हिंसा को अक्सर हिंसा के रूप में देखा ही नहीं जाता है।

भारत में घरेलू हिंसा के कारण

(1) **पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था** –भारतीय सामाजिक व्यवस्था पितृसतात्मक है। इसमें परिवार में पुरूषों की प्रधानता है। यह व्यवस्था पुरूषों को महिलाओं पर अधिक प्रभाव एवं नियंत्रण देता है। जिससे उसे परिवार में स्वतः जीवन साथी पर हावी होने तथा शासन करने का अधिकार मिल जाता है। यह घरेलू हिंसा का महत्वपूर्ण कारक है।

(2) **पुरूषवादी मानसिकता** – महिलाऐं पुरूषों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक (भावानात्मक) रूप से कमजोर होती हैं। पुरूषों की तुलना में वे श्रम साध्य कार्य करने में असमर्थ होती हैं। इस कारण समाज में इनकी निम्न सामाजिक स्थिति रहती है। पुरूषवादी मानसिकता के कारण महिलाओं को हर जगह हर समय जाने पर सामाजिक प्रतिबंध है। रात्रि में घरों से बाहर जाने पर भी उन पर प्रतिबंध है। परपुरूष से हॅसने बोलने एवं उसके साथ घूमने फिरने को सामाजिक प्रतिबंध के दायरे में माना जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषवादी मानसिकता के कारण महिलाएं हमेशा अपने स्वविवेक से न कोई कार्य कर पाती हैं और न कोई निर्णय ही ले पाती हैं। जब इन प्रतिबंधों का मुखर होकर वह विरोध करती है तो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, एवं ताना देने की घटनायें होती हैं।

(3) **दहेज की कुप्रथा –** घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण दहेज प्रथा है। विवाहित महिलाओं को दहेज कम लाने के लिए भी घरेलू हिंसा का शिकार हेाना पड़ता है। उनपर पिता से दहेज के रूप में धन राशि या मूल्यवान सामग्री लाने के लिए ससुराल में दबाव बनाया जाता है। जब महिला इन बातों का विरोध करती है तब उस पर जबरदस्ती गलती करने आदि का आरोप लगाकर उसका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन किया जाता है।

(4) **शराब एवं अन्य मादक द्रव्यों का प्रयोग –** पति का शराबी होना या किसी अन्य माद्रक द्रव्यों के सेवन का आदी होना घरेलू हिंसा के लगभग एक चौथाई मामलों के लिए उतरदायी है। शराबी पति शराब के नशे में हित अहित, गलत सही सभी का भेद भूल जाता है। अक्सर वह नशे के शिकार होने पर घर परिवार में उत्पात मचाता है और निरीह पत्नी के साथ मारपीट करता है। शराबी पति हमेशा किसी न किसी बहाने पत्नी से पैसों की मांग करता है, नहीं देने पर उसके साथ मारपीट करता है। यहां तक कि उसके गहने या अन्य मूल्यवान वस्तुओं को भी जबरदस्ती उससे छीनना चाहता है, जिससे झडप के दौरान महिला के शरीर के किसी अंग में गम्भीर चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। शराब की लत के कारण लोग अपनी हिचकिचाहट खोकर हिंसात्मक व्यवहार करते हैं।

(5) **सामाजिक शर्म –** हिंसा की रिपोर्ट करना अक्सर महिलाओं में सामाजिक शर्मिन्दगी का कारण बनता है। सामाजिक शर्म और डर से घबराकर महिला अपने उत्पीडन एवं मारपीट की घटना का जिक्र किसी से नहीं करती है और अपने दुःख को चुपचाप बर्दाश्त करती है। उत्पीडनकर्ता पति की शिकायत कहीं नहीं करने पर पति को ऐसी घटनाएं बार बार दुहराने का बल मिलता है। जिससे वह और खुल कर अपनी पत्नी को उत्पीडित करता है। महिलाओं की यह निष्क्रियता घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है।

(6) **गरीबी और निरक्षरता –** अधिकांश महिलाएं आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर रहती हैं। गरीब परिवारों में जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने पर पति पत्नी में हमेशा कहासुनी और झगडे होने लगते हैं जो बढते बढते घरेलू हिंसा का रूप ले लेंते हैं। ग्रामीणों क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं। अशिक्षा के कारण महिलाओं में अधिकारों और लैंगिक समानता के संबंध में ज्ञान की कमी पायी जाती है। उनकी निरक्षरता के कारण उन्हें महिला अधिकारों से संबंधित नियमों एवं कानूनों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपने उपर ढाये जा रहे अत्याचारों का विरोध नहीं कर पाती हैं जो घरेलू हिंसा को बढाने में सहायक होता है।

(7) **अन्य कारण –**

(1) जीवनसाथी के साथ बहस करना।
(2) उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना।
(3) बच्चों की उपेक्षा करना ।
(4) जीवनसाथी को बिना बताये घर से बाहर जाना।
(4) स्वादिष्ट खाना न बनाना।
(5) विवाहेतर संबंधों में लिप्त होना।
(6) ससुराल वालों की देखभाल न करना।
(7) विभिन्न अवसरों पर परिवार के अन्य सदस्यों के इच्छा के विरूद्ध कार्य करना

(8) एक से अधिक बार कन्या को जन्म देना।
(9) गर्भाधारण में अयोग्य होना।
(10) पति का बेरोजगार होना।

भारत में घरेलू हिंसा रोकने के सरकारी प्रयास :

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

महिलाओं को घरेलू हिंसा से सरक्षण देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। यह अधिनियम महिला के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उन्हें परिवार के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में पांच अध्याय एवं 37 धाराएं हैं। अध्याय–1 में प्रारंभिक, अध्याय 2 में घरेलू हिंसा, अध्याय 3 में संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियाँ और कर्त्तव्य, अध्याय–4 में अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया एवं अध्याय–5 में प्रकीर्ण अंकित है।

घरेलू हिंसा से पीडिता को विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता एवं परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया यदि मामला घरेलू हिंसा का लगता है तो वह इस अधिनियम की धारा 18 से 23 तक विभिन्न आदेश दे सकता है ––

क. संरक्षण का आदेश (Protection Order) – धारा 18 के अधीन
ख. निवास आदेश (Residence Order) – धारा 19 के अधीन
ग. मौद्रिक आदेश (Monetary Order) – धारा 20 के अधीन
घ. अभिरक्षा आदेश (Cusody Order) – धारा 21 के अधीन
ड. प्रतिकर आदेश (Compensation Order) – धारा 22 के अधीन

इस अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गये आदेशों की पूर्त्ति न करने पर निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है––

(1) ऐसे में प्रतिवाद को अधिकतम एक वर्ष की जेल अथवा 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते है।

(2) भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा– 498 ए या दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप लगाया जा सकता है।

(3) संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों की पूर्ति न करने पर ऐसे संरक्षण अधिकारी को अधिकतम एक वर्ष की जेल या रूपया 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का जुर्माना या दोनों हो सकते है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 पर महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति दिनांक 13 सितम्बर, 2005 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम की धारा–37 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई। इसी प्राप्त शक्ति के आलोक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं०–644 (अ) दिनांक 17 अक्टूबर,

2006 द्वारा **''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006''** अधिसूचित किया। यह नियम 26 अक्टूबर, 2006 से पूरे भारत में प्रवृत हो गया।

इस नियम की धारा–3 में संरक्षण अधिकारियों की अर्हताएं और अनुभव निर्धारित किया गया। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकेंगे, परन्तु महिलाओं को अधिमानता दी जाएगी। धारा–4 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है, होने की संभावना है वह इसके बारे में सूचना उसे अधिकारिता रखने वाले संरक्षण अधिकारी को मौखिक रूप से या लिखित रूप में देगा।

इस नियम की धारा–5 के अनुसार संरक्षण अधिकारी घरेनू हिंसा की शिकायत मिलने पर प्रारूप–1 में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे मजिस्ट्रेट को देगा। किसी व्यथित व्यक्ति के अनुरोध पर कोई सेवा प्रदाता प्रारूप–1 में घरेलू हिंसा रिपोर्ट अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को और उस क्षेत्र में अधिकारिता रखनेवाले संरक्षण अधिकारी को, जहां ऐसी घरेलू हिंसा होना अभिकथित है, भेजेगा। धारा–8 एवं 10 में संरक्षण अधिकारी के कर्त्तव्य एवं कृत्य वर्णित है। धारा–11 में सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण एवं धारा–13 में परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने का प्रावधान है। इस नियम की धारा–15 में संरक्षण आदेशों का भंग होना, धारा–16 में व्यथित व्यक्ति को आश्रय एवं धारा–17 में व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं।

भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधान

महिलाओं के प्रति अपराध के अन्तर्गत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–125 के अन्तर्गत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के अधिकार हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा–126, धारा–126(3) में भी चर्चा की गई है। भारतीय संहिता की धारा–366, 366 (क) एवं 366 (ख) में महिलाओं के अपहरण का वर्णन है। भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा–376 के अंतर्गत बलात्कार को अत्यंत जघन्य अपराध माना गया है। धारा–497 जारकर्म को प्रतिबंधित एवं दंडनीय मानती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 494 किसी पति को अपनी पत्नी के जीवित रहने की दशा में द्वितीय विवाह को निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध मानता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के आगे 498 (क) जोड़ा गया है, जिसमें दहेज के अपराधियों को 3 वर्ष तक के कारावास एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

विवाहित महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का सबसे प्रभावी कारण दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई है जिसकी जड़े काफी गहराई तक पहुंच चुकी है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 दहेज की समस्या के निजात के लिए सरकार द्वारा लागू किया गया था। 1961 के अधिनियम में दहेज अपराधी को 6 माह तक के कारावास एवं 5000 रूपये तक का जुर्माने का प्रावधान था। सन् 1976 के संशोधन में दंड की अवधि 1 वर्ष कर दी गई एवं जुर्माना 5000 रूपया ही रहा। पुनः 1985 के संशोधन में 2 वर्ष के कारावास एवं 10000 रूपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1985 के संशोधन में दहेज को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में ला दिया गया। दहेज अपराध की प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में संशोधन करते हुए यह निरूपित किया गया कि यदि विवाह के 7 वर्षो के भीतर दहेज अपराध हुआ है तो पुलिस संज्ञान लेकर स्वयं जांच कर सकती है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम/प्रावधान

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित कुछ अन्य प्रावधान भी महिला उत्पीड़न एव घरेलू हिंसा की घटनाओं से संरक्षण प्रदान करते हैं यथा– (1) महिला आरोपी की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2) भ्रूण लिंग चयन निषेध अधिनियम, 1994 (3) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1996 (4) कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्कप्लेस बिल (POSH Act), 2013 (5) पॉक्सो (POCSO) अधिनियम आदि।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा के नियमों को शक्तिशाली बनाने के लिए 28 मई, 2018 को एक नया **''महिला सुरक्षा प्रभाग''** स्थापित किया है। इसका उद्देश्य समग्र रूप से न्याय के तीव्र और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

सरकार ने **स्टॉप सेंटर** जैसी योजनाएं प्रारंभ की है, जिनका उद्देश्य हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिए चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सेवाओं की एकीकृत रेंज तक उनकी पहुँच को सुगम एवं सुनिश्चित करना है।

भारत में घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए **''बेल बजाओं अभियान''** चलाया गया। चूंकि घरेलू हिंसा एक सामाजिक समस्या है। इसलिए किसी व्यक्ति के आस पास, पडोस में यदि घरेलू हिंसा की घटनाएं हो रही है तो उन्हें तुंरत जाकर उसके घर की डोर बेल बजाना है।

भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं की वर्तमान स्थिति

भारतीय संविधान, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, घरेलू हिंसा से संबंधित अधिनियम, महिलाओं के सशिक्तकरण से संबंधित सरकारी प्रावधानों एवं कार्यक्रमों तथा जनजारूकता के बाबजूद घरेलू हिंसा कानून के लागू होने के लगभग 18 वर्षों के बीतने के बाद भी घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है। **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष** की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल विवाहित महिलाओं में से दो–तिहाई महिलाएं धरेलू हिंसा का शिकार है।

द लासेंट में 2014 के एक अध्ययन में बताया गया कि हलांकि भारत में महिलाओं के प्रति रिपोर्ट की गई यौन हिंसा की दर दुनिया में सबसे कम है, लेकिन भारत की बड़ी आबादी का मतलब है कि हिंसा उनके जीवनकाल में 27.5 मिलियन महिलाओं को प्रभावित करती है। **थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन** द्वारा विशेषज्ञों के बीच कराए गए एक जनमत सर्वेक्षण में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया।

यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो तिहाई भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। इसके अलावा भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएं पिटाई, दुष्कर्म, दुर्व्यवहार और यौन शोषण का शिकार हैं।

UNFPA और **'इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन'** (ICRW) द्वारा वर्ष 2014 में कराए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि दस में 6 पुरूष महिला हिंसा को जायज (सही) मानते हैं। वहीं 70 प्रतिशत विवाहित महिलाएं भी पुरूषों (पतियों) से पिटाई को सही मानती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश भारतीय परिवारों में ''घरेलू हिंसा'' सामान्य बात है। लेकिन इसका कुप्रभाव घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के अलावा उनके बच्चों पर भी पड़ता है। बच्चे जो हिंसक वातावरण में बढ़ते हैं वे बड़े होकर हिंसक आचरण के आदी हो जाते है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 के बीच महिलाओं के विरूद्ध अपराध की 22.8 लाख घटनाएं दर्ज की गई। इसमें 7 लाख घटनाएं घरेलू हिंसा से संबंधित थी। यानि 30 प्रतिशत हिंसा महिलाओं के ससुराल में घटित हुआ है। महिला अपराधों की कुल घटनाओं में घरेलू हिंसा का आंकड़ा 2016 में 33 प्रतिशत, 2017 में 29 प्रतिशत, 2018 में 27 प्रतिशत, 2019 में 31 प्रतिशत, 2020 में 30 प्रतिशत और 2021 में 32 प्रतिशत पाया गया। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं पर अपराध के हरेक तीन मामलों में से एक ससुराल मे होनेवाली हिंसा से संबंधित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), भारत सरकार को 2022 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों की 30,957 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें से अधिकतर 9,710 गरिमा के साथ जीने के अधिकार से संबंधित थीं। इसके बाद घरेलू हिंसा से संबंधित 6,970 और दहेज उत्पीड़न से संबंधित 4,600 शिकायतें दर्ज कराई गई। ऑकड़ों के अनुसार महिला अपराधों से संबंधित प्राप्त शिकायतों में एक चौथाई घरेलू हिंसा से जुड़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) को वर्ष 2023 में महिला अपराध की 28,811 शिकायतें मिली, जिसमें घरेलू हिंसा की 6,274, दहेज उत्पीड़न की 4,797, छेड़छाड़ की 2,349 और बलात्कार तथा बलात्कार के प्रयास की 1,537 शिकायतें शामिल थीं।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2015 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के 3.29 लाख मामले, वर्ष 2016 में 3.38 लाख मामले, वर्ष 2017 में 3.60 लाख मामले, वर्ष 2019 में 4,05,326 मामले और वर्ष 2020 में 3.71,503 मामले दर्ज किए गए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की रिपोर्ट **''भारत में अपराध, 2021''** के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,28,278 मामले दर्ज हुए जिसमें 2020 (3,71,503) की तुलना में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश मामले ''पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता'' (31.8 प्रतिशत) के पाए गए। इसके बाद ''शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला'' होने के मामले (20.8 प्रतिशत), ''महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण'' (17.6 प्रतिशत) एवं ''बलात्संग के मामले'' (7.4 प्रतिशत) दर्ज किए गए हैं। प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 2020 में 56.5 प्रतिशत की तुलना में 2021 में 64.5 दर्ज की गयी।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की रिपोर्ट **''भारत में अपराध, 2022''** के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए जो 2021 (4,28,278) की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है। भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश मामले ''पति या उसके संबंधियों द्वारा क्रूरता'' (31.4 प्रतिशत) के पाए गए। इसके बाद ''शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला'' होने के मामले (18.7 प्रतिशत), ''महिलाओं का अपहरण एवं व्यपहरण'' (19.2 प्रतिशत) एवं ''बलात्संग के मामले'' (7.1 प्रतिशत) दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट ''भारत में अपराध, 2022'' के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर घंटे महिलाओं के प्रति अपराध के 51 मामले दर्ज होते हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के अनुसार भारत में 18 से 49 साल की लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें 15 साल की उम्र के बाद शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है, 6

फीसदी महिलाओं को जिदंगी में कभी न कभी यौन हिंसा झेलनी पड़ी। लेकिन महज 14 फीसदी महिलाएं ही ऐसी रहीं, जिन्होंने अपने साथ हुई शारीरिक या यौन हिंसा के बारे में बताया। उक्त सर्वे में यह पता चला कि 18 से 49 साल की 32 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को उनके पति की तरफ से शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा झेलनी पड़ती है। सर्वे में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि शराबी पुरूष महिलाओं के साथ ज्यादा मारपीट करते हैं।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के अनुसार घरेलू हिंसा के साथ शिक्षा का स्तर जुड़ा हुआ है। कभी स्कूल न जानेवाली 40 प्रतिशत महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन महिलाओं ने स्कूली पढ़ाई की होती है, उनमें हिंसा के मामले 18 प्रतिशत ही देखे गए हैं। देश में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के मामले कर्नाटक (40%) में पाए गए। इसके बाद बिहार (39.6%), मणिपुर (38%) तेलंगाना और तमिलनाडु में घरेलू हिंसा के मामले पाए गए। घरेलू हिंसा के सबसे कम मामले लक्षद्वीप (2.1%) में पाया गया।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार 79.4 प्रतिशत महिलाएं अपने पति के जुल्मों (घरेलू हिंसा) की शिकायत नहीं करती हैं और उनके जुल्म चुपचाप सहती हैं। वहीं यौन हिंसा की शिकार 99.5 प्रतिशत महिलाएं कभी इसकी शिकायत नहीं करती हैं।

घरेलू हिंसा की घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का संज्ञान– सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में जब ''घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005'' के लागू होने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की समीक्षा की गई तो पाया गया कि 01 जुलाई, 2022 तक घरेलू हिंसा के 4.71 लाख मामले लंबित पड़े थे और 21,088 केस अपील और रिविजन की प्रक्रिया में थे। देश के 797 जिलों में केवल 801 वन स्टॉप सेंटर बने थे, जबकि एक जिले में कई ऐसे सेंटर होना चाहिए।

घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए घरेलू हिंसा से महिला सरक्षण अधिनियम, 2005 पर चर्चा करते हुए कहा है कि वर्ष 2005 के अधिनियम के अनुपालन के बाद भी भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक महिला को भारत में पुत्री, बहन, पत्नी, मॉ, साथी या एकल महिला के रूप में घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, जो चिंतनीय है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक **''कभी न खत्म होनेवाले चक्र**'' (Never Ending Cycle) के रूप में परिभाषित किया है।

घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी लाने के सुझाव :

(1) 'घरेलू हिंसा' का एक कारण परंपरागत एवं रूढ़िग्रस्त सामाजिक व्यवस्था है। महिलाओं एवं लड़कियों के लिए बेहतर सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण का निर्माण कर घरेलू हिंसा की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

(2) महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायनों में समाप्त करने के लिए हमें पुरूषों को महिला अधिकारों, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण हेतु अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं तथा महिलाओं के कल्याण एवं संरक्षण हेतु प्रवृत सरकारी अधिनियमों आदि की जानकारी परिचर्या अथवा कार्यशाला या संगोष्ठी के आयोजन के माध्यम से दिया जा सकता है।

(3) ''पुरूषों को महिलाओं के खिलाफ रखने'' के स्थान पर पुरूषों को इस समाधान का भाग बनाया जाय। इसके लिए समाज की सोच को बदलना भी जरूरी है ताकि वे बेटे एवं बेटियों में कोई फर्क न कर सके।

(4) महिलाओं को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण सुविधाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करनी होगी।

संदर्भ (References) :

1. श्रीवास्तव, सुधा रानी (2009), ''महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
2. देवसरे, विभा (2009), ''घरेलू हिंसा वैश्विक संदर्भ'', आर्य प्रकाशन मंडल, गांधीनगर ं दिल्ली।
3. शर्मा, सुरेन्द्र कुमार (2010), ''महिलाओं में अधिकारों के प्रति चेतना'', आर बी एस ए पब्लिशर्स, जयपुर।
4. शर्मा, कुमुद (2011), ''आधी दुनियां का सच'', सामयिक प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज, नई दिल्ली।
5. ओझा, सुरेश (2011), ''महिला कानून'', सर्जना, बिकानेर।
6. पाण्डेय, आई०सी०, प्रधान, श्याम नारायण और पाण्डेय, रमेश, ''महिलाओं के अधिकार'', सुधाली पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
7. लवानिया, डॉ० एम०एम० एवं जैन, शशि के० (2003), ''भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र'', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर।
8. शर्मा, सुभाष (2011), ''भारत में मानवाधिकार'', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
9. शेखर, डॉ० शीतांशु (2015), ''भारत में स्त्री सशक्तीकरण'', दर्शना पब्लिकेशन, भागलपुर, बिहार।
10. व्यास, डॉ० मीनाक्षी (2008), ''नारी चेतना और सामाजिक विधान'', रोशनी पब्लिकेशन्स,कानपुर।
11. देसाई, नीरा एवं ठक्कर ऊषा (अनुवाद डा० सुभी धुसिया) (2011), ''भारतीय समाज में महिलाएं'', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
12. रमा, शर्मा एवं मिश्रा, एम०के० (2012), ''महिला सशक्तीकरण'', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
13. कुमार, रूपेश (2011), ''संविधान और मानवाधिकार'', डी०एस० बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना।
14. जैन, अरविन्द (2011), ''औरत होने की सजा'', राजकमल पेपरबैक्स, राजकमल प्रकाशन प्रा०लि०, नई दिल्ली।
15. वर्मा, जे०के० (2013), ''महिलाएं समझें अपने कानूनी अधिकार'', राजा पॉकेट बुक्स, दिल्ली।
16. आहूजा, राम (2008), ''सामाजिक समस्याएं'', रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
17. सारस्वत, स्वप्निल (2007), ''महिला विकास एक परिदृश्य'', नमन प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
18. अंजली, (2005), ''भारत में महिला अपराध'', राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली।
19. सिंह, डा० एम०एन० (2009), ''मानवाधिकार एवं महिलायें'', जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
20. शर्मा, नसिरा (2010), ''औरत के लिए औरत'', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली।

21. तिवारी, डा०आर०पी० एवं शुक्ला, डा० डी०पी० (2008), ''भारतीय नारी : वर्तमान समस्याएं और भावी समाधान'', ए०पी०एच० पब्लिशिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली।
22. मेरी सहेली (मासिक पत्रिका) (वाल्यूम 25, अंक–10, अक्टूबर, 2012)– ''महिलाएं : सामाजिक समस्याएं विशेषांक''।
23. SOUVENIR, May 2023 ["National Seminar on Gender Sensitisation and its Impact on Health, Nutrition and Education : Prospects and Challenges"- 29th May 2023 & 30th May 2023] Organised by : University Department of Home Science, BNMU. Madhepura
24. Wikipedia
25. Ministry of Women & Child Development, Govt. of India
26. www.unicef.org.india
27. www.unwomen.org
28. National Commission for Women
29. www.oxfam.org
30. Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India
31. www.mha.gov.in
32. www.ncrb.gov.in
33. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau) की रिपोर्ट
34. विभिन्न समाचार पत्र